फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

बद्री वगै0 बनाम श्रवण वगै0

त्र संख्या : 17/2017

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
07.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्षों की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 132, 136 एल0आर0 एक्ट पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 09.04.2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला-जयपुर	
09.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली को अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम नटाटा पटवार हल्का, नटाटा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 310 रकबा 0.01है0 गै0मु0चाह, खसरा नम्बर 311 रकबा 3.15है0, खसरा नम्बर 313 रकबा 4.40है0 प्रार्थीगणो की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमियां साबिक खसरा नम्बर 930 से बनायी गयी भूमिया है जिसमे खसरा नम्बर 347 व 348 तथा 346 संवत 2021 के एकीकरण के समय बनाये गये थे जिसमें खसरा नम्बर 346 के खसरा नम्बर 308 व 309 हाल नये नम्बर बनाये गये है जो अप्रार्थी सं0 6 के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 347 व 348 के नये नम्बर 310, 311, 313 और 313/1076 प्रार्थीगण की भूमियां है। साबिक खसरा नम्बर 930 प्रार्थीगण एवं सरकारी खाते की भूमि एक ही जिसमें विभाजित कर 930/1 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा सरकारी खाते में दर्ज की गई जो वर्तमान मे खसरा नम्बर 308 व 309 अप्रार्थी सं0 6 के नाम दर्ज है एवं खसरा नम्बर 930/2, 1578/1 जिसके नम्बर 310, 311, 313 है प्रार्थीगण की भूमि है। खसरा नम्बर 930/1 की भूमि 22 बीघा 3 बिस्वा थी परन्तु अप्रार्थी सं0 6 के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 308 व 309 के राजस्व नक्शें में भूमि ज्यादा दर्शित की गई है और प्रार्थीगण की भूमि का रकबा कम कर दिया गया है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 की भूमि हाल खसरा नम्बर 312 को राजस्व नक्शें में गलत दर्शाया गया है और प्रार्थीगण की भूमि दर्शित कर दिया गया है जबकि खसरा नम्बर 312 पूर्व खसरा नम्बर 325 से बना है जो प्रार्थीगण की भूमि में नही था बल्कि प्रार्थीगण की भूमि के दक्षिण में स्थित रास्ते से दक्षिण में है। जबकि खसरा नम्बर 312 को रास्ते के उत्तर दिशा में प्रार्थीगण की भूमि में दर्शा दिया गया है जो गलत है। अप्रार्थी सं0 3 ता 5 की भूमि हाल खसरा नम्बर 313 गत नम्बर 345 को भी प्रार्थीगण की भूमि में दर्शा दिया गया है तथा खसरा नम्बर 343 की भूमि जमाबन्दी के रिकार्ड से अधिक है और इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा नम्बर 719 एवं 312 का रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा मे से खसरा नम्बर 312 प्रार्थीगण की भूमि मे दर्शा दिया गया हैं जो गलत है। खसरा नम्बर 930 को अभिवक्त करते हुये और नक्शा कायम करते हुये जो खसरा नम्बर 346 अप्रार्थी सं0 6 के नाम अंकित किया गया है उसका रकबा भी नक्शें में ज्यादा दर्शित किया गया है। नक्शें में जमाबन्दी के रिकार्ड के अनुसार रकबा सही दर्शित नही किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 311 जो कि 3	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर

5है0 है उसमें लगभग 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि नक्शें में कम दर्शित
गई है और खसरा नम्बर 313 रकबा 4.40है0 में भी नक्शें में 3 बी
13 बिस्वा भूमि करीबन कम दर्शित की गई है। अतः वर्तमान
खसरा नम्बर 312, 343, 308, 309, 310, 311, 313, 709, 719
रकबा बरारी करते हुये एवं कमी नक्शा पुरी करते हुये संलग्न नज
नक्शें में दर्शित बेंगनी रंग से दर्शित स्थान पर खसरा नम्बर 313,
रंग से दर्शित स्थान पर खसरा नम्बर 310, 311, हरे रंग से दर्शि
स्थान पर खसरा नम्बर 308, पीले रंग से दर्शित स्थान पर खस
नम्बर 343, नीले रंग से दर्शित स्थान पर खसरा नम्बर 312
समस्त खसरा नम्बरों की रकबा बरारी करते हुये कमी नक्शा पू
करते हुये दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

वकील अप्रार्थी सं0 6 ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दूओं
दौहराते हुऐ निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नटाटा के खसरा नम्
346, 347 एवं 348 संवत 2021 के एकीकरण के समय में खसरा नम्
346 के हाल खसरा नम्बर 308 एवं 309 बनाये गये। उक्त भू
वर्तमान मे जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण
किसी प्रकार का कोई संबंध नही है। खसरा नम्बर 308 व 309 वर्तमा
मे जविप्रा के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पूर्व मे भी सरकारी भूमि
थी। इसी कारण राज्य सरकार के आदेश से वर्तमान मे उक्त भू
जविप्रा के नाम से दर्ज की गई है जो सही है। खसरा नम्बर 30
309 को राजस्व नक्शें में सही दर्शाया गया है। प्रार्थी द्वारा जिस त
से प्रार्थना पत्र में अनुतोष चाहा है। धारा 132, 136 एल0आर0एक्ट
परिभाषा में नही आती है। अतः आवेदन पत्र सरसरी तौर पर
खारिज किये जाने योग्य है।

वकील अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने अपनी बहस मे जवाब प्रा0पत्र में अंकि
बिन्दूओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि खसरा नम्बर 308 व 30
खसरा नम्बर 346मि. से बने है। जिससे प्रार्थीगण का कोई संबं
सरोकार नही है तथा हाल खसरा नम्बर 310 गत खसरा नम्बर 347
से बना है, हाल खसरा नम्बर 311 गत खसरा नम्बर 247मि. से बना
तथा हाल खसरा नम्बर 313 गत खसरा नम्बर 345 से बना है
जिसका पूर्व नक्शा व हाल नक्शा मे कोई अन्तर नही है
मिनउत्तरदाता अप्रार्थी सं0 1 व 2 की भूमि हाल खसरा नम्बर 312
भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नही होने के व प्रक
मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत किये जाने से प्रकरण को खारिज फरमा
जावें। खसरा नम्बर 930/2 व 1578/1 से खसरा नम्बर 310, 3
कायम नही किये गये है जबकि प्रार्थीगण ने प्रकरण वर्णित किया
कि खसरा नम्बर 930/2 व 1578/1 जिसके नम्बर 310, 311, 3
है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने न्यायालय को गुमराह करते
विरोधाभासी कथनों के आधार पर व रिकार्ड के विपरित प्ररकण
किये जाने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। अतः प्रार्थीगणों
नजरी नक्शा पेश नही किये जाने व हाल विवादित खसरा नम्बरो
तरमीम पूर्व नक्शें अनुसार कायम किये जाने से प्रार्थीगणों का
प्रकरण दुरूस्त योग्य नही बनने से प्रार्थीगण के प्रकरण को भारी
खारिज फरमाया जावें।

पैरोकार सरकार (तहसीलदार जमवरामगढ) ने अपनी रिपोर्ट
अवगत कराया कि ग्राम नटाटा के खसरा नम्बर 310, 311, 313 कि
3 कमशः रकबा 0.01है0, 3.15है0, 4.40है0 भूमि प्रार्थीगण की खातेदा
में दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक एकीकरण मिलान क्षेत्रफल के सा
खसरा नम्बर 346 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा भूमि सेटलमेंट 2008
खसरा नम्बर 930/1/1 मिन रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा, सा
खसरा नम्बर 347 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि सेटलमेंट 2008

खसरा नम्बर 930/2 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि एवं खसरा नम्बर 348 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा भूमि सेटलमेंट 2008 के खसरा नम्बर 1578/1 मिन. रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा से बने है। हाल खसरा नम्बर 308 साबिक खसरा नम्बर 346 मि. रकबा 4.27है0 से हाल खसरा नम्बर 309 साबिक खसरा नम्बर 346 मि. रकबा 0.25है0 से बना है। हाल खसरा नम्बर 309 रकबा 0.25है0 आबादी भूमि सिवायचक दर्ज है व खसरा नम्बर 308 रकबा 4.27है0 भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम खातेदारी दर्ज है। साबिक खसर नम्बर 347 व 348 के नये खसरा नम्बर 310, 311, 313/1076 इत्यादि बने है। मुताबिक राजस्व नक्शें में खसरा नम्बर 308, 309 मुताबिक रिकार्ड लगभग 1–1 बीघा अधिक भूमि दर्शित की गई है। हाल खसरा नम्बर 312 का सेटलमेंट संवत 2008 के नक्शें में तरमीम अंकित नही है लेकिन एकीकरण में उक्त खसरा नम्बर की तरमीम की हुई है एकीकरण व हाल नक्शें में खसरा नम्बर 312 के रकबे मे कोई अन्तर प्रतीत नही होता है। हाल खसरा नम्बर 313 साबिक खसरा नम्बर 348 से बना है तथा खसरा नम्बर 343 रकबा 0.89है0 भूमि के राजस्व नक्शें में रकबा लगभग 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि अधिक दर्शित है। खसरा नम्बर 719 व 312 का रकबा मुताबिक एकीकरण व हाल रिकार्ड व नक्शें में कोई अन्तर प्रतीत नही होता है। संवत 2008 सेटलमेंट के साबिक खसरा नम्बर 930 के एकीकरण के बने खसरा नम्बर 346 हाल खसरा नम्बर 308 लगभग 1 बीघा भूमि अधिक दर्ज है। एकीकरण व हाल नक्शें व जमाबन्दी के रिकार्ड अनुसार रकबा नक्शें में सही दर्शित नही है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 311 में लगभग 2 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 313 में लगभग 2 बीघा भूमि कम दर्शित है। प्रकरण में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर भी पक्षकार है मौके पर जे0डी0ए0 द्वारा उक्त भूमि के चारों तरफ खसरा नम्बर 311 से लगवा पुख्ता बाउन्ड्रीवाल भी लगा रखी है व खसरा नम्बर 308 मे ग्राम पंचायत नटाटा द्वारा अटल सेवा केन्द्र भी बना हुआ है। उक्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा ग्राम पंचायत नटाटा को आवंटित की हुई है।

अतः वकील उभय पक्षों व पैरोकार सरकार की बहस का मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम ग्राम नटाटा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 311 से लगवा पुख्ता बाउन्ड्रीवाल जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा बना रखी है तथा खसरा नम्बर 308 मे ग्राम पंचायत नटाटा द्वारा अटल सेवा केन्द्र बना रखा है। ऐसी स्थिति में दुरूस्ती किया जाना संभव नही है। अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर